सुखाचार (1882 के अधिनियम सं० 5 का विस्तार)

(1891 का अधिनियम संख्यांक 8)

[6 मार्च, 1891]

**भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882 का कतिपय
उन क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए,
जिनमें वह प्रवृत्त नहीं है,
अधिनियम**

यत: भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882 का उन कतिपय क्षेत्रों में विस्तार करना समीचीन है जिनमें वह प्रवृत्त नहीं है; अत: निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. 1882 के अधिनियम 5 का मुम्बई और उत्तर-पश्चिमी प्रान्तों और अवध में विस्तार—भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882 (1882 का 5) का विस्तार, सपरिषद् मुम्बई के राज्यपाल और [1]उत्तर-पश्चिमी प्रान्तों के उपराज्यपाल और अवध के मुख्य आयुक्त के अपने-अपने प्रशासित राज्यक्षेत्रों में किया जाता है ।

———

[1] अब उत्तर प्रदेश ।